प्रेस नोट
दिनांक 16.11.2025

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा बलवा एवं जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–437/2025, धारा 191(2),191(3),109(1),115(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त– अंकित पुत्र सुक्खू, निवासी ग्राम पचपुती जगतापुर, थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा को ग्राम रुदापुर, समय माता मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.09.2025 समय वादी पवन सिंह निवासी पचपुती जगतापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि व अपने साथी के साथ मनकापुर बाजार जा रहा था कि देवरहना सुक्खु पुरवा के पास विपक्षी अंकित पुत्र सुक्खु से मोटरसाइकिल टकराने पर कहासुनी हुई। इसी दौरान विपक्षीगण अंकित, पंडित, संचित, अगनू, खुशीराम, महेन्द्र तथा अन्य लोग कुल्हाड़ी, कुदाल, लाठी–डण्डा लेकर आ गए और गाली–गलौज करते हुए हमला कर दिया। हमले में प्रार्थी के भाई प्रवीन सिंह को कुल्हाड़ी के वार से गंभीर चोटें आयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16.11.2025 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा घटना में सलिप्त आरोपी अभियुक्त अंकित पुत्र सुक्खू, निवासी ग्राम पचपुती जगतापुर, थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा को ग्राम रुदापुर, समय माता मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अंकित पुत्र सुक्खू, निवासी ग्राम पचपुती जगतापुर, थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–437/2025, धारा 191(2),191(3),109(1),115(2),352,351(3) बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय।
02. उ0नि0 नरसिंह यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.11.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–464/25, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों– 01. विपुल कुमार कश्यप, 02. रवि कश्यप को ग्राम बढईन पुरवा आटा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.11.2025 को वादिनी मंतूरा देवी पत्नी महेश कुमार निवासी ग्राम डोमा अहलाद, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री का विवाह लगभग 06 वर्ष पूर्व विपुल पुत्र दिनेश निवासी बढई पुरवा, थाना परसपुर से हुआ था। शादी के बाद से ही मेरी पुत्री को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा आज दिनांक 14.11.2025 दहेज की मांग के चलते प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 16.11.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्तगण– 01. विपुल कुमार कश्यप(पति), 02. रवि कश्यप (देवर) को ग्राम बढईन पुरवा आटा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. विपुल कुमार कश्यप पुत्र दिनेश कुमार नि0 ग्राम बढईन पुरवा आटा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
02. रवि कश्यप पुत्र दिनेश कुमार नि0 ग्राम बढईन पुरवा आटा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–464/25, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अमन कन्नौजिया
02. का0 सुबेन्द्र।
03. का0 योगेन्द्र।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.11.2025

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा गौ आश्रम स्थल में घोर लापरवाही व अनियमितता करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–47/25, धारा 316(5) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त भागीरथ पासवान पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम ताराडीह थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा को सेमरा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
जिलाधिकारी महोदया व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की निरीक्षण आख्या में ग्राम पंचायत पकवानगांव तथा ताराडीह स्थित गौ–आश्रय स्थलों में गौवंशों की देखभाल में गंभीर लापरवाही, अनियमितता, भूसा–चारा व स्वच्छ पेयजल की कमी तथा मृत गौवंशों के उचित निस्तारण में घोर उपेक्षा पाई गयी थी। जिलाधिकारी महोदया द्वारा दोनों ग्राम पंचायतों के प्रधान, सचिव तथा केयरटेकर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। दिनांक 28.02.2025 को थाना उमरीबेगमगंज ग्राम पंचायतों के प्रधान, सचिव तथा केयरटेकर के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 16.11.2025 को विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त ताराडीह के प्रधान भागीरथ पासवान पुत्र माता प्रसाद को सेमरा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. भागीरथ पासवान पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम ताराडीह थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–47/25, धारा 316(5) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 सुमित सिंह।
02. का0 रवि कुमार राय।
03. का0 संजीव कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.11.2025

परिवार परामर्श केन्द्र में 02 जोडा एक साथ रहने को हुए राजीः–
गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 02 जोडो को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थित सदस्यगण–
महिला थाना प्रभारी श्रीमती अनीता यादव, श्री गंगाधर शुक्ला, श्री शशि भारती, श्री राजमंगल मौर्य,श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, डा0 उमा सिंह, म0आ0 नेहा सिंह आदि उपस्थित रही।

मीडिया सेल, गोंडा।